सं. 20014/03/2012-रा.भा./का-2

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
***

'बी' विंग, चतुर्थ तल, नई दिल्ली सिटी सेंटर-II बिल्डिंग,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110 001 दिनांक : 25 जून, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 37वीं बैठक का कार्यवृत्त।

सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 37वीं बैठक **22 मार्च, 2013** को कमलादेवी ब्लॉक, मल्टीपरपज हॉल, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40, मैक्स मूलर मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित की गई है ।

2. बैठक से पूर्व माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने 'राजभाषा सूचना प्रबंधन प्रणाली' का विमोचन किया | विमोचन की रिपोर्ट एवं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है ।

3. अनुरोध है कि कार्यवृत्त में उल्लिखित मदों पर अपेक्षित कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को अवगत करवा दें ।

4. उक्त बैठक का कार्यवृत्त राजभाषा विभाग की वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर भी उपलब्ध है |

संलग्न : यथोक्त

(**हरिन्द्र कुमार**)
निदेशक (कार्यान्वयन)
फोन : 2343 8129

1. केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य :
   भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन) एवं
   अध्यक्ष विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति ।
2. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग/डेस्क
3. राजभाषा विभाग के अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. सचिव, राजभाषा विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
2. संयुक्त सचिव (रा.भा.) के निजी सचिव ।

3. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, नई दिल्ली ।

4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

.....

'राजभाषा सूचना प्रबंधन प्रणाली' का विमोचन एवं सचिव(राजभाषा) की अध्यक्षता में दिनांक 22.03.2013 को आयोजित केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त |

सचिव, राजभाषा विभाग ने माननीय गृह राज्य मंत्री का स्वागत करते हुए उनसे 'राजभाषा सूचना प्रबंधन प्रणाली' का लोकार्पण करने का आग्रह किया | साथ ही उन्होंने माननीय गृह राज्य मंत्री को कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन डाटा संकलन और रिपोर्टिंग प्रणाली का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया तथा यह सूचित किया कि इस रिपोर्टिंग प्रणाली से समय से सभी संबंधित रिपोर्ट तैयार करने तथा राजभाषा नियम तथा नीति के पालन में भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग/कार्यालय की कमियों को समय रहते उन कार्यालयों आदि को अनुपालन सुनिश्चित करने का दिशा निर्देशन दिया जा सकेगा | इस ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली की सहायता से राजभाषा संबंधी विभिन्न मंत्रालयों आदि से प्राप्त आंकड़ों की समीक्षा करना आसान एवं तीव्र होगा |

1.2 माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने 'राजभाषा सूचना प्रबंधन प्रणाली' का विमोचन करते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों के उच्च अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा तिमाही रिपोर्ट और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन भेजने के लिए तैयार किए गए साफ्टवेयर का शुभारंभ करते हुए उन्हें अपार प्रसन्नता हो रही है | माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने आगे कहा कि हमारा नैतिक ही नहीं संवैधानिक दायित्व भी है कि हम समस्त कार्यालयीन कार्य राजभाषा हिंदी में करें | हिंदी के कार्य की प्रगति का सही ढ़ंग से आकलन हो तथा सूचनाओं का संकलन किया जाए, इस उद्देश्य को प्राप्त करने में इस नए साफ्टवेयर से काफी लाभ मिलेंगे | इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि सरकारी कामकाज की भाषा दुरूह एवं कठिन है | उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी कामकाज की भाषा सरल एवं सुबोध हो | उन्होंने उपस्थित सभी राजभाषा संबंधी अधिकारियों से अनुवाद कार्य पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया |

1.3 निदेशक (कार्यान्वयन एवं तकनीकी) ने 'राजभाषा सूचना प्रबंधन प्रणाली' साफ्टवेयर का प्रस्तुतीकरण दिया |

1.4 संयुक्त सचिव(राजभाषा) ने अपने धन्यवाद प्रस्ताव में माननीय गृह राज्य मंत्री जी, सचिव, राजभाषा विभाग तथा सभागार में उपस्थित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से आए प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का आभार प्रकट किया और कहा कि आज का दिन राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा तथा सभी अधिकारियों से उनके मंत्रालयों/विभागों एवं

अधीनस्थ/संबद्व कार्यालय, बैंकों एवं उपक्रमों में इसे तत्काल प्रभाव से लागू कराने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया जिससे इसके पूर्वगामी लाभों का उपयोग शीघ्र लिया जा सके |

1.5 माननीय गृह राज्य मंत्री जी के संबोधन तथा साफ्टवेयर के प्रदर्शन के पश्चात बैठक का पहला सत्र समाप्त हुआ |

2. 'राजभाषा सूचना प्रबंधन प्रणाली' का विधिवत विमोचन के उपरांत श्री अरूण कुमार जैन, सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 37वीं बैठक का शुभारंभ किया गया | केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 36वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी | 36वीं बैठक के कार्यवृत्त पर हुई अनुवर्ती कार्रवाई निम्नानुसार है:--

(क) वार्षिक कार्यक्रम - लक्ष्य और उपलब्धियां:--

मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि अभी तक कोई भी मंत्रालय/विभाग शत-प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है | मंत्रालयों/विभागों से पुन: अनुरोध किया गया कि उक्त दिशा में और अधिक प्रयास करें |

(ख) राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग विषयक तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मे पर विचार करके संशोधन कर दिया गया है | सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से तिमाही प्रगति रिपोर्ट को अब ऑनलाइन भेजने का अनुरोध किया जाता है |

(ग) सरकारी कामकाज में सरल एवं सुबोध हिंदी का प्रयोग एवं गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना |

राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 28 मई, 2012 को का.ज्ञा. सं. 1/14011/01/2012-रा.भा.(नीति/के.अनु.ब्यूरो) जारी कर सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को सरकारी कामकाज में सरल एवं सुबोध हिंदी का प्रयोग करने एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निदेश जारी किया है| सभी मंत्रालय/विभाग के अधिकारियों से इसका पालन सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया |

(घ) राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के छठे खंड में संस्तुति सं. 11.10.14 में सिफारिश की है कि भारत सरकार के अधीनस्थ/संबद्व/उपक्रमों/प्रतिष्ठानों में राजभाषा कैडर बनाया जाए | राजभाषा विभाग ने समय-समय पर जारी पत्रों के माध्यम से सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों और संगठनों आदि में कार्यरत हिंदी अधिकारियों/कर्मचारियों के संवर्ग गठित करने के लिए कार्रवाई करें, ताकि राजभाषा से जुड़े कर्मियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सकें | भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग द्वारा इस ओर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जानी चाहिए | भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि वे इस दिशा में प्रयासरत हैं |

(ङ) कंप्यूटर में यूनिकोड एनकोडिंग में हिंदी में कार्य करने की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है | इसे सक्रिय करने की विधि विस्तारपूर्वक राजभाषा विभाग के वेबसाइट पर दी गई है |

1. 36वीं बैठक के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई |

(क) राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पदों का सृजन मंत्रालय/विभाग के सचिवालयीन कार्मिकों की संख्या बल पर किया जाना अपेक्षित है | संवर्ग के पुनर्गठन में अतिरिक्त पदों के आबंटन के दौरान संख्या बल के साथ-साथ मंत्रालय द्वारा प्रेषित कार्यात्मक औचित्य को भी ध्यान में रखा गया है | पद सृजन करने का मामला संबंधित मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आता है | इसमें राजभाषा विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं है |

(ख) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा त्रैमासिक तथा 21 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में संक्षिप्त (वर्ष में 16) और उच्च स्तरीय एवं पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं | इन सभी अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुवादकों को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में अनुभवी एवं विशेषज्ञ अधिकारियों/वक्ताओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है |

(ग) अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि दोगुनी कर दी गई है |

(घ) राजभाषा विभाग के 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय देश के विभिन्न भागों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में जाकर हिंदी में किए कामकाज का निरीक्षण करते रहते हैं | प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय हिंदी समिति, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संबंधित मंत्रियों की अध्यक्षता में गठित हिंदी सलाहकार समितियां, सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय राजभाषा समिति, सभी मंत्रालयों/विभागों में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियां, विभिन्न नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां राजभाषा हिंदी में किए कामकाज की समीक्षा करती हैं | इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट सभी मंत्रालयों/विभागों से मंगाता है | सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों आदि में इस संबंध में पाई गई कमियों का उल्लेख किया जाता है उनसे उन कमियों को दूर करने का अनुरोध किया जाता है | राजभाषा समिति देश के विभिन्न भागों में स्थित कार्यालयों का निरीक्षण कर हिंदी में कामकाज में पाई गई कमियों की तरफ ध्यान दिलाते हुए संबंधित कार्यालयों आदि को उपचारात्मक कदम उठाने के लिए सुझाव देती है |

(ङ) हिंदी में तकनीकी पुस्तकों, प्रशिक्षण सामग्री एवं संदर्भ साहित्य उपलब्ध कराना राजभाषा विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है | प्रोद्योगिकी, वैज्ञानिक एवं चिकित्सा आदि क्षेत्र में हिंदी में अनुवाद करके पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध कराने का काम मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है | मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि इसके लिए आवश्यक कदम उठायें तथा की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को अवगत कराएं |

36वीं बैठक के अनुपालन हेतु मुख्य बिंदु

1. राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली एवं राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट में एकरूपता के लिए राजभाषा समिति सचिवालय के साथ विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लेना लंबित है |

(कार्रवाई–नीति अनुभाग, राजभाषा विभाग)

2. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवादकों का पैनल तैयार किया है तथा अनुवाद की दरों में संशोधन किया गया है | केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो अनुवादकों के पैनल को संशोधित/संवर्धन प्रति वर्ष करके राजभाषा विभाग को सूचित करेगी साथ ही अनुवाद दरों की समीक्षा करके प्रस्ताव राजभाषा विभाग को भेजेगी |

(कार्रवाई- केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो)

3. राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के आठवें खण्ड में विज्ञापनों पर खर्च के विषय में सिफारिश सं. 70 - विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत हिंदी पर खर्च किए जाने संबंधी सिफारिश पर राष्ट्रपति के यह आदेश जारी किए गए हैं कि सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली जाए कि सरकारी विज्ञापन की कुल राशि का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकतानुसार हिंदी तथा अंग्रेजी में दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में निर्धारित करें | तदनुसार इसका अनुपालन किया जाना चाहिए |

4. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का नियमित आयोजन किया जाए | समिति के पुनर्गठन में विलंब होने की दशा में गैर-सरकारी सदस्यों के बिना ही वर्तमान समिति द्वारा बैठक की जाए | हिंदी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को पहचान पत्र, पार्किंग, विजटिंग कार्ड जारी करना | उन्हें निरीक्षण आदि का अधिकार देना | इस सुझाव पर आम सहमति बनी कि हिंदी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को पहचान पत्र, पार्किंग, विजिटिंग कार्ड आदि जारी नहीं किया जाना चाहिए | उन्हें कार्यालयों आदि के निरीक्षण का अधिकार नहीं है |

6. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के कार्मिकों को ISTM के माध्यम से प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रशिक्षण की व्यवस्था का मामला राजभाषा विभाग के विचाराधीन है | इस पर निर्णय के उपरांत यथासमय सूचित किया जाएगा |

(कार्रवाई - नीति अनुभाग एवं केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो)

7. हिंदी पदों के मानकों के पुन: निर्धारण पर विचार के प्रस्ताव के संबंध में यह सूचित किया गया कि संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग के दिनांक 22.07.2004 के का.ज्ञा.सं. 13035/3/95-रा.भा.(नी.स.) द्वारा न्यूनतम हिंदी पदों के सृजन के लिए मार्गदर्शी सिद्वांत निर्धारित की गई है, वह न्यूनतम है | कार्य की मात्रा और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्यालय में इससे अधिक पदों का सृजन, यदि औचित्य हो, तो उनका कार्य अध्ययन के आधार पर किया जा सकता है | कार्य अध्ययन के आधार पर संबंधित कार्यालय

प्रशासनिक मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा वित्त मंत्रालय(व्यय विभाग) के अनुमोदन से आवश्यक हिंदी पदों के सृजन पर विचार कर सकते हैं | सचिव स्तर पर उक्त बाबत पुन: समीक्षा की गई और इनमें संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई |

8. लीला, मंत्रा, श्रुतलेखन, वाचांतर, प्रवाचक, ई–महाशब्दकोश आदि साफ्टवेयर का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए तथा गुगल ग्रुप, राजभाषा विभाग के फेसबुक का इस्तेमाल कर फीडबैक राजभाषा विभाग को दी जाए ताकि इनमें अपेक्षित सुधार किया जा सके |

राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर सी-डैक, पुणे से विकसित करवाए गए सॉफ्टवेयरों की जानकारी दी जाती है | यह जानकारी विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध है | लीला, मंत्रा, श्रुतलेखन, वाचांतर, प्रवाचक, ई-महाशब्दकोश सॉफ्टवेयरों का अधिक से अधिक प्रयोग करने का आग्रह किया जाता है | इन सॉफ्टवेयरों के प्रयोगकर्ता से प्राप्त फीडबैक के अनुसार इन सॉफ्टवेयरों के विकास का कार्य किया जाएगा | गुगल ग्रुप तथा राजभाषा विभाग के फेस बुक के इस्तेमाल के बारे में जो भी सहायता माँगी जाती है, वह उपलब्ध करा दी जाती है |

37.3 वर्ष 2011-12 की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा |

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन |

संदर्भित अवधि के दौरान भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन नहीं किया गया जो असंतोषजनक है |

क्र.सं.	**मंत्रालय/विभाग का नाम**	**केवल अंग्रेजी में जारी कागजात की संख्या**
1.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	4041
2.	पंचायती राज	56
3.	रसायन एवं पेट्रो रसायन	12
4.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान	10

चूककर्ता मंत्रालय/विभाग भविष्य में इसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करवाएं |

(कार्रवाई – चूककर्ता मंत्रालय/विभाग)

हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर की स्थिति :

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना अपेक्षित है | निम्नलिखित **मंत्रालय/विभाग** द्वारा उक्त नियम का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया है |

क्र.सं.	**मंत्रालय/विभाग का नाम**	**हिंदी पत्रों के अंग्रेजी में भेजे गए उत्तरों की संख्या**
1.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	901
2.	रसायन एवं पेट्रो रसायन	275
3.	कोयला	99
4.	पंचायती राज	42

5.	बायोटैक्नोलॉजी	35

चूककर्ता मंत्रालय/विभाग भविष्य में इसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करवाएं |

(कार्रवाई – चूककर्ता मंत्रालय/विभाग)

निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति:

मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि अभी तक कोई भी मंत्रालय/विभाग शत-प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है|

मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उक्त दिशा में और अधिक प्रयास करें |

(कार्रवाई – सभी मंत्रालय/विभाग)

37.4-37.5 'राजभाषा सूचना प्रबंधन प्रणाली' के द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजना |

राजभाषा विभाग एवं इसके अधीनस्थ कार्यालय को भविष्य में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट उक्त प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन भेजी जाएं तथा वर्ष 2012-13 की सभी तिमाहियों की प्रगति रिपोर्टें ऑन लाइन भेजें |

(कार्रवाई – सभी मंत्रालय/विभाग और उनके अधीनस्थ कार्यालय/बैंक/उपक्रम/स्वायत्त निकाय आदि)

37.6 सरकारी कार्य में आम बोल चाल की भाषा का प्रयोग |

राजभाषा विभाग के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि सरकारी कार्यालयों आदि द्वारा पत्राचार में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जिसे समझने में कठिनाई का अनुभव होता है | ऐसे में यह उचित होगा कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों आदि में आसानी से समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग किया जाए|

(कार्रवाई – सभी मंत्रालय/विभाग)

भाग-II

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मदें

37.7 (i) हिंदी के रिक्त पदों (कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ अनुवादक एवं सहायक निदेशक (रा.भा.)) को तत्काल भरना|

कैडर में वर्तमान में उक्त पदों को भरने हेतु कार्मिक उपलब्ध नहीं है | जैसे ही उक्त कार्मिक उपलब्ध होंगे यथासमय उनकी तैनाती कर दी जाएगी |

(ii) कनिष्ठ अनुवादकों के चयन के पश्चात उनकी तैनाती मंत्रालय/विभाग में करने से पूर्व ही उन्हें संयुक्त रूप से अनुवाद प्रशिक्षण दिलाया जाना चाहिए जैसा कि केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं में चयन के पश्चात दिया जाता है |

चूंकि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन किए गए अभ्यावेदक का डोजियर संबंधित कार्यालय को भेजा जाता है तथा उनकी पूर्ण जांच करके संबंधित कार्यालय भर्ती आदेश जारी करता है जिसमें समय लगता है तथा एक साथ उनकी नियुक्ति नहीं होती है | अत: कनिष्ठ अनुवादकों के चयन के तुरन्त पश्चात उनका अनुवाद प्रशिक्षण दिलाना व्यवहारिक नहीं है |

(iii) अनुवाद के साथ-साथ विधीक्षा, टंकण एवं प्रूफरीडिंग की दरें भी निर्धारित की जाएं |

राजभाषा विभाग के दिनांक 11 नवंबर, 2011 के का.ज्ञा. संख्या 13011/1/2007-रा.भा.(नी.स.) द्वारा अनुवाद कार्य का पारिश्रमिक 250/- रुपए प्रति हजार शब्द निर्धारित किया गया है | वास्तव में अनुवाद कार्य विधीक्षा, टंकण एवं मिलान होने के पश्चात ही संपूर्ण हो पाता है | अनुवाद के अतिरिक्त विधीक्षा, टंकण एवं मिलान की दरें निर्धारित करने पर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से प्रस्ताव आने पर विचार किया जाएगा |

(कार्रवाई - केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो)

(iv) तिमाही प्रगति रिपोर्ट में अनुवाद संबंधी कार्य की गणना हेतु कॉलम जोड़ना |
यह प्रस्ताव व्यवहारिक नहीं होगा |

(v) हिंदी टंकण के लिए 'युनीवर्सल' की बोर्ड तैयार करवाना |
कंप्यूटरों पर हिंदी के कार्य के लिए इंस्क्रिप्ट की बोर्ड उपलब्ध है | यह की बोर्ड यूनीवर्सल है |

37.8 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नवगठित विभाग 'विकलांगता विभाग' में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के न्यूनतम पदों का सृजन एवं तैनाती करना |

संबंधित मंत्रालय/विभाग पदों का सृजन राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुमोदन से स्वयं करते हैं | राजभाषा विभाग इन सृजित किये पदों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के अनुरोध पर केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में शामिल कर कार्मिक की तैनाती करता है | अत: उपरोक्त के संबंध में कार्रवाई सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की जानी अपेक्षित है |

(कार्रवाई – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

37.9 औषध विभाग में उप निदेशक (राजभाषा) एवं वरिष्ठ अनुवादकों के पदों पर तैनाती किया जाना |

कैडर में वर्तमान में अपेक्षित संख्या में उप निदेशक (राजभाषा) उपलब्ध नहीं हैं | जैसे ही अधिकारी उपलब्ध होंगे, उनकी तैनाती कर दी जाएगी | वरिष्ठ अनुवादक के पद पर तैनाती कर दी गई है |

37.10 (i) सरकारी काम-काज में मूल रूप से हिंदी में कार्य करने के लिए नकद पुरस्कार योजना के पुरस्कारों में वृद्धि किए जाने के संबंध में |

राजभाषा विभाग के दिनांक 30.10.2012 के का.ज्ञा.सं.II/12013/01/2011-रा.भा.(नीति/के.अ.ब्यूरो) के तहत जारी निदेशों के अनुसार सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि पहले ही की जा चुकी है |

(ii) केंद्रीय सचिवालय राजभाषा संवर्ग के रिक्त पदों को रिक्त तिथि से भरे जाने के प्रस्ताव में यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार तथा भर्ती नियमों में दिये गये प्रावधानों को ध्यान में रख कर की जाती है |

(iii) संविदा/परामर्शदाता आदि के रूप में लगे कार्मिकों को सरकारी काम काज हिंदी में करने पर अन्य कार्मिकों की तरह नकद पुरस्कार देना |

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 2 (ग) के प्रावधान के अनुसार सरकारी कार्यालय में संविदा/परामर्शदाता के रूप में लगे कार्मिक केंद्रीय सरकार के कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते | इसलिए इन्हें सरकारी काम काज हिंदी में करने पर अन्य कार्मिकों की तरह नकद पुरस्कार नहीं दिया जा सकता |

37.11 राजभाषा विभाग में कार्मिक की उपलब्धता के उपरांत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में उप निदेशक (राजभाषा) एवं वरिष्ठ तथा कनिष्ठ अनुवादकों की तैनाती कर दी जाएगी |

37.12 हिंदी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को पहचान पत्र जारी करना | इस मुद्दे पर 36 वीं बैठक में ही आम सहमति बनी थी कि हिंदी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को पहचान पत्र, पार्किंग, विजिटिंग कार्ड आदि जारी नहीं किया जाना चाहिए | उन्हें कार्यालयों आदि के निरीक्षण का अधिकार भी नहीं है |

37.13 रक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ अनुवादकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में सूचित करना है कि विभाग में वर्तमान में उक्त पदों हेतु कार्मिक उपलब्ध नहीं है | जैसे ही कार्मिक उपलब्ध होंगे यथासमय उनकी तैनाती कर दी जाएगी

37.14 (i) उर्वरक विभाग में सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ अनुवादकों की तैनाती राजभाषा विभाग में कार्मिकों की उपलब्धता के उपरांत कर दी जाएगी |

(ii) हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण अवधि को कम करना |

राजभाषा विभाग के दिनांक 09/13.04.09 के का.ज्ञा.सं.21034/75/2008/रा.भा.(प्रशि.) द्वारा हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी आशुलिपि तथा हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण के लिए एक

मध्यमकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम) की व्यवस्था की गई है | इसके अंतर्गत दिल्ली में हिंदी टंकण/आशुलिपि के 3 प्रशिक्षण केंद्रों (रेल भवन, मानक भवन तथा आर. के. पुरम) पर प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं | इस कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण 5 माह का है, जिसमें 3-3 घंटे प्रत्येक कार्य दिवस की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं | इस तरह हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए आने वाले प्रशिक्षाणार्थी प्रत्येक कार्य दिवस में पहले आधे दिन (First half) हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात आधे दिन (Second half) में अपने-अपने कार्यालयों में कार्य पर उपस्थित रहते हैं |

(iii) हिंदी में टिप्पण/आलेखन की राशि को बढ़ाया जाना |

राजभाषा विभाग के दिनांक 30.10.2012 के का.ज्ञा.सं.II/12013/01/2011-रा.भा.(नीति/के.अ.ब्यूरो) के तहत जारी निदेशों के अनुसार सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रुप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि पहले ही की जा चुकी है |

(iv) जून, 2005 के बाद के 'हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन' तैयार करने पर कार्रवाई चल रही है |

राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम-पुस्तक 1998 तथा इसके बाद चरणबद्ध रूप से 1974, 1980, 1986, 1988 का संकलन वेबसाइट पर डाला जाएगा |

बैठक अध्यक्ष के प्रति साभार समाप्त हुई |

*****